

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :- रा0खा0आ0 (विविध)-04/2023 - 136
प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक:- 02.02.2024

विषय:- आवेदक श्री लखी हरिजन, ग्राम-जमुआ, पो0-सरैयाहाट, जिला-दुमका
से प्राप्त आवेदन पर कार्रवाई के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि आवेदक श्री लखी हरिजन, ग्राम-जमुआ, पो0-सरैयाहाट, जिला-दुमका का परिवाद पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है। प्राप्त आवेदन में उल्लेख है कि आवेदनकर्ता पूर्व में जन वितरण प्रणाली विक्रेता थे एवं अनुमण्डल पदाधिकारी के आदेशानुसार आवेदक के भाई श्री सखी हरिजन द्वारा उनके दुकान का संचालन किया जा रहा था। आवेदक का आरोप है कि श्री सखी हरिजन द्वारा दुकान संचालन के दौरान उनका दुकान रद्द कराते हुए कार्यालय को गुमराह कर अवैध तरीके से स्वयं के नाम से जन वितरण प्रणाली दुकान स्वीकृत करा लिया गया है। आवेदक द्वारा उक्त मामले की जांच कराकर उचित कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

अतः प्राप्त परिवाद पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन


(संजय कुमार)

सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।



सेवा में

महामहिम भारतखंड राज्य खाद्य आयोग ।

महाराष्ट्र

सतिनय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं लखी हरिजन पिता स्व. लालचन हरिजन पंचायत - सौर्या, अंगल सह प्रखण्ड सौर्यासट जिला - दुमका ग्राम - जमुआ का रहने वाला हूँ,

विभाग को प्रेषित करें।

31.1.24

31/1/24

31/01/24

165 31.01.24

मह है कि पंचायत - सौर्या ग्राम - जमुआ के पूर्व में हम जन वितरण प्रणाली, उ०सु० विक्रेता थी, और मेरा सहोदर भाई सरखी हरिजन पिता स्व. लालचन हरिजन, श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी के आदेशानुसार मेरा दुकान का संचालक था। और मेरा भाई सरखी हरिजन, मेरा जन वितरण प्रणाली का दुकान चलाते थे, जिनका अनुमंडल पदा० दुमका के आदेश, के द्वारा प्रति आदेशन के साथ संलग्न है।

मह है कि मेरा भाई सरखी हरिजन के द्वारा संचालक के दौरान में ही मेरा दुकान रद्द करवाते हुए, अवैध ढंग से कार्यालय को घुमरा कर के स्वयं आपने नाम से जन वितरण प्रणाली का दुकान स्वीकृत कराया गया है। जो कि सरकारी नियम के विरुद्ध है जिसका अनुज्ञापी सं०-04/05 है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि आवेदन का (आवलोकन करते हुए) ग्राहण जाँच कराते हुए, संचालक सरखी हरिजन पिता - स्व. लालचन हरिजन ग्राम - जमुआ, पंचायत - सौर्या, अनुज्ञापी सं०-04/05 के विरुद्ध उचित कानूनकार्यवाही करने का आदेश देने का कृपा की जाय।

श्रीमान का विश्वासी

लखी हरिजन पिता - स्व. लालचन हरिजन
ग्राम - जमुआ पीस्ट सौर्यासट - 814151
जिला - दुमका (भारतखण्ड)
मो० - 9931091828

दि० - 25-01-2024 E.

डाक लिपि सं-
RJ264973783 N
दि-15-01-2024E

शेरा में
महामहिम राजपपाल महोदय
भारतखण्ड सरकार राँची 834001
महाशय,

सविनय निवेदन पुरक कहता है कि मैं लखी हरिजन पिता सह
लालचन हरिजन ग्राम जमुसा पंचायत का सचिव सौरा, धाना सह पुलिस-
स्टेशन जिरा- दुमका का रहने वाला हूँ।
यह है कि श्रीमान श्रीमान जमुसा के पूर्व में हम जन विवरण
प्रणाली (उ.मु. विवेकता से) और मेरा सही दर भाई सरनी हरिजन पिता सह
लालचन हरिजन, मेरा दुकान के संचालक था। मेरा दुकान संचालक सरनी हरिजन
के द्वारा चालता था। जिसका डीमंड अहमदाबाद पत्रकारों के दुमका के
अखिब्त (कौमी) का विवरण प्रिंटिंग के साथ संचालन है।
यह है मेरा भाई सरनी हरिजन पिता लालचन हरिजन चालाकि से संचालन
के द्वारा चालाकि से कार्यालय की सुभार करके मेरा सही दर भाई सरनी हरिजन
सर्घी आपने नाम से अखिब्त डेज से जन विवरण प्रणाली के दुकान स्वीकृत
करा कि मेरा जन विवरण प्रणाली के दुकान रद्द कर दिया गया है।
यह है कि हम मेरा दुकान रद्द होने के पश्चात पुनः मेरा भाई
का नाम से जन विवरण प्रणाली का दुकान स्वीकृति नहीं होता था।
करीब श्रीमान अहमदाबाद पत्रकारों के अखिब्त मेरा दुकान का
संचालक था। जो कि मेरा सही दर भाई अखिब्त की सुभार कर के
अखिब्त डेज से सरनी आपने नाम से संचालन दुकान स्वीकृत कर लिया गया है।
जिसका अनुक्रमा सं- 04/05 है।

अतः श्रीमान से आग्रह है कि अखिब्त पर
मैं नजर रखते हुए मेरा सही दर भाई सरनी हरिजन पिता लालचन
हरिजन पंचायत सौरा ग्राम जमुसा अनुक्रमा सं- 04/05 के लिकर
उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

श्रीमान का निवासी
लखी हरिजन पिता सह लालचन हरिजन
ग्राम जमुसा पंचायत सौरा
पत्रालयतहाना सौरास्ट 814151
जिला दुमका (भारतखण्ड)
मो- 9931091828



राज्य शासन
जार्खण्ड
मुख्यालय
राँची-834001
दूरभाष सं- 0659-2531111
फैक्स सं- 0659-2531111
वेबसाइट सं- www.jharkhand.gov.in

88

सेवा में
बाबा प्रभारी मंडल्य सरैयाहाट
मधुवा

डाक निलंबन सं- RJ 264873267 IN

11)

संविनय निलेदन पुर्वक कहना है कि मैं लखी हरिजन उम्र 62 वर्ष
पिता स्व. लालचन हरिजन ग्राम जमुआ धागा सरैयाहाट जिला दुमका का
रहने वाला हूँ, मेरे पूर्व में हम अतितरण प्रणाली का फैलावत सरैया ग्राम जमुआ
का विक्रेता, या और यह दुकान, मेरा भाई लखी हरिजन पिता लालचन हरि
के द्वारा संचालक था, संचालक के दौरान में मेरा दुकान का अमुआ ग्रीस्ट
करा कर स्वर्ग आपना नाम से दुकान स्वीकृत कर लिभा गंगा डोकका
दरमा प्रति आलेदन के साथ सौदागत है, लखी हरिजन का उम्र 55 वर्ष है।
उक्त इनका रेशन दुकान का अनुमती सं- 04/05 है।

(2)

यह है कि हम आपका रेशन की दुकान पुनः पुर्नखिमत के लिए शीमान्
कमिश्नर न्यायालय में अपील दशा में करवाती पर है। (लेखा R.M.R NO-
82/05-06 है।) इस संबंध में मेरा भाई का कहना है कि आप अपना
अपील खारिज करा दो नहीं तो जान से किसी छद्मनाम के द्वारा जान मारना
देंगे। क्योकि मेरा दुकान पुनः पुर्नखिमत होने के पश्चात मेरा भाई का
दुकान का अखतन बंद के जायेगा और इसी बात पर हम अपना सारे रसु भाई
लखी हरिजन को कहा कि हम अपना दुकान रेशन का अपील किया गया,
खारिज नहीं कराया जायेगा इसी बात पर भाई लखी हरिजन के द्वारा
मुझको मार पीट कर मेरा पत्नी मीरा देवी, बौली, दगा कुमारी, पतु
रीता देवी, एवं मेरा लड़का गोकुल हरिजन को मुझको लाना आया है इन सब
का शमार पीट एवं अमर शब्द जाली जलीज करे लगा खतबे कोने व पक्षी
बोला गया।

अतः शीमान् से अनुरोध है कि इसके विरुद्ध उचित
कानून कार्रवाई करने की कृपा की जाय, यह प्रस्ताव दिनांक 27-12-2023 के
8 वजे लगभग रात्री में हुआ है।

उत्पदा विजयासी -
लखी हरिजन
पिता लालचन हरिजन फैलावत- सरैया
धागा - सरैयाहाट जिला- दुमका 814151 डाक नि.
28-12-2023 फोन 9931091828
राजकी अमुमंडल हाउस न्यायालय दुमका
डाक नि. - RJ 264873196 IN दि-10-01-2024 E.

भारतीय डाक
RJ 264873267 IN
RJ 264873267 IN
Date of Mail 28/12/2023 12:24
Incl. Value 100000 IN
Postage 10000 IN
Fru. 10000 IN
Weight 10000 IN
Net Wt. 10000 IN
Check at www.indiapost.gov.in

यह है कि ऑपिष्ट को गुमरा कर मेरा भाई सखी हरिजन, मेरा ^{राशन} दुकान का
संचालक, आपने स्वयं आपना ^{नाम है} (शैलान) जन बि-प्र० का दुकान स्वीकृत
अवेदन के साथ करामा गमा है। यह शिकायत आवेदन पर दिनांक-
31-12-2023 को सर्वोच्च न्यायालय के ^{ए.ए.एल.} जस्टिस के द्वारा ^{द्वारा} स्वयं जांच
किया गया।

आवेदक
लक्ष्मी हरिजन

मेरा मैं

400-21/2-198

मेरा मैं हरिवन पिता - श्री मातवन हरिवन
मेरा मैं - श्री मातवन हरिवन - श्री मातवन हरिवन
मेरा मैं - श्री मातवन हरिवन - श्री मातवन हरिवन

मेरा मैं - श्री मातवन हरिवन - श्री मातवन हरिवन

1. यह कि मेरा मैं उचित रूप से वर्तमान में है।

2. यह कि मेरे डकान की लाइसेंस संख्या 8/...

3- यह कि मेरा मैं एक सामग्री के उद्योग एवं श्री मातवन हरिवन पिता श्री मातवन हरिवन

4- यह कि मैं स्वयं मेरे एक शपथ पत्र पर श्री मातवन हरिवन पिता श्री मातवन हरिवन

मेरा मैं - श्री मातवन हरिवन - श्री मातवन हरिवन

मेरा मैं अपने छोटे में

मेरा मैं करना या नहीं

मेरा मैं। जहां मैं

मेरा मैं करता है।



सहस्यपन

मेरा मैं हरिवन यह तथ्य पता करता है कि मैं जहां मैं करता हूं।
यहां मैं हरिवन पिता श्री मातवन हरिवन पिता श्री मातवन हरिवन
जहां मैं हरिवन पिता श्री मातवन हरिवन पिता श्री मातवन हरिवन

श्री मातवन हरिवन

श्री मातवन हरिवन

जहां मैं मेरे समक्ष में अज्ञात किया

श्री मातवन हरिवन 23/2/198

श्री मातवन हरिवन 23/2/198

श्री मातवन हरिवन 23/2/198

50

अनुमंडल आपूर्ति कार्यालय, हुमका आदेश

जब विवरण क्वाटी के अनुसार कृषि मूल उत्पादों का निर्यात करने वाले हैं क्वाटी द्वारा संबंधित
 के साथ ४ बार से अधिक क्वाटी कर रानी। एकात्मिक अथवा अथवा अथवा के अंतर्गत से
 १. जब निर्यात कृषि मूल उत्पादों का निर्यात करने वाले हैं क्वाटी द्वारा संबंधित के अंतर्गत से
 २. करनी

नाम	पंजाब का नाम	कृषि मूल उत्पादों का नाम	नाम वहाँ का करनी
सुरैयाहाट	सुरैयाहाट	श्री सखी हरिन पिता - श्री लालचन्द हरिन ग्राम - जमुष्वा पंजाब - सुरैयाहाट प्रखण्ड - सुरैयाहाट	दस्ता न. 407 ग्राम - जमुष्वा पूरा - श्री हरिन का जमी पतिवत - श्री हरिन का जमी कृषि - जगदीश हरिन का २५ इतर - यस्ता अपने जाने से कि

अनुमंडल संख्या 04/05

हस्ताक्षर
अनुमंडल पराधिकारी
हुमका

आ. 235 / आ. दिनांक 14/10
 अधिकारी श्री सखी हरिन / प्रखण्ड आपूर्ति
 को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। पदाधिकारी सुरैयाहाट

अनुमंडल पराधिकारी
 हुमका

सखी हरिन